निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1938 (श0)
(सं0 पटना 1048) पटना, शुक्रवार, 9 दिसम्बर 2016

सं0 3ए-2-वे,पु,-(भत्ता)-08/2013-**9385/वि0**

वित्त विभाग

संकल्प

9 दिसम्बर 2016

विषयः-पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से 125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 3575, दिनांक 03/05/2016 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से 125 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/3/2008–E–II (B) दिनांक 09/11/2016 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर राज्यकर्मियों को पुनरीक्षण-पूर्व का वेतन प्राप्त हो रहा है।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षण-पूर्व वेतन में 125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(ii) पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

6. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक 01/07/2016 से भुगतेय है और इसका भुगतान दिसम्बर, 2016 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जनवरी, 2017 में किया जायेगा ।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1048-571+10-**डी**0**टी**0**पी**0।
Website: http://egazette.bih.nic.in